

प्रेस नोट-
थाना एरच, झाँसी

दिनांक- 15.09.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका के अनुपालन में वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 15.09.2025 को थाना एरच पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त भगवान उर्फ शम्भू सिंह चौहान पुत्र शत्रुघन सिंह निवासी ग्राम बामौर थाना एरच जनपद झाँसी सम्बन्धित वाद संख्या 869/2025 धारा 128 द0प्र0स0/147 बीएनएसएस के विरुद्ध माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, झाँसी द्वारा निर्गत वसूली/गिरफ्तारी वारण्ट का अनुपालन कराते हुए वारण्टी भगवान उर्फ शम्भू सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- भगवान उर्फ शम्भू सिंह चौहान पुत्र शत्रुघन सिंह निवासी ग्राम बामौर थाना एरच जनपद झाँसी उम्र करीब 35 वर्ष

अभियुक्त की गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक- अभियुक्त के घर ग्राम बामौर/ दिनांक 15.09.2025

गिरफ्तार / सहयोग करने वाली टीम-

1. सुश्री दीपशिखा सिंह, थाना प्रभारी/पु0उपा0 थाना एरच, झाँसी
2. उ0नि0 श्री दिनेश चन्द्र, चौकी प्रभारी बामौर, थाना एरच, झाँसी



Photographer